

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236632 CG-DL-E-16062022-236632

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] No. 156] नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2022/ज्येष्ठ 25, 1944 NEW DELHI WEDNESDAY, JUNE 15, 2022/JYAISTHA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

फा. सं. पी-13032(18)/7/2021-सीसी (ई-39223).—केंद्र सरकार दिनांक 4 अगस्त, 2017 के का.आ. संख्या 2492 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार (कार्य का आबंटन) तीन सौ पेंतीसवें संशोधन नियम, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04 जून 2018 की अधिसूचना संख्या मिसिल संख्या पी-13032(16)/18/2017-सीसी द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति -2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से एतद्वारा संशोधन करती है:-

- 1. (i) इस संशोधन को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 संशोधन, 2022 कहा जायेगा।
 - (ii) यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी है।
- 2. राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में निम्नलिखित उल्लिखित खंडों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(i) खंड 2.2:

इस नीति का लक्ष्य बाजार में जैव ईंधन की उपलब्धता को सुगम बनाना है जिससे उसके मिश्रण प्रतिशत में वृद्धि हो सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि तेल कंपनियां दिनांक 01 अप्रैल 2023 से पूरे देश में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेंगी। आने वाले वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20 प्रतिशत का मिश्रण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। 2030 तक डीजल में जैव डीजल के 5 प्रतिशत मिश्रण / जैव

4066 GI/2022 (1)

डीजल की सीधी बिक्री का सांकेतिक लक्ष्य प्रस्तावित है। यह लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से हासिल किये जाएंगे :

- क) घरेलु उत्पादन में वृद्धि के द्वारा की जा रही इथेनॉल/ बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ाना
- ख) द्वितीय पीढ़ी (2जी) बायो रिफाईनरियों की स्थापना
- ग) जैव ईंधन के लिए नया फीडस्टॉक का विकास
- घ) जैव ईंधन में परिवर्तित करने वाली नयी प्रद्यौगिकियों का विकास
- ड़) जैव ईंधनों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना और ईंधन से एकीकृत करना।

(ii) खंड 3.2 (i)

'बायो एथेनॉल': बायोमास से उत्पन्न एथेनॉल जैसे कि चीनी युक्त सामग्री जैसे गन्ना, चुकंदर, मीठा ज्वार आदि, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़े हुए आलू, कृषि खाद्य/लुगदी उद्योग अपशिष्ट, शैवाल (एल्गल) आदि और सैल्युलौसिक सामग्री जैसे खोई, लकड़ी का कचरा, कृषि और वानिकी अवशेष या अन्य नवीकरणीय संसाधन जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, सब्जी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट गैस या उपरोक्त फीड स्टॉक का कोई मिश्रण संयोजन।

(iii) खंड 3.2 (iii)

'उन्नत जैव ईंधन': वे ईंधन जो (1) लिग्नोसैल्युलौसिक फीड स्टॉक (जैसे कृषि और वनो के अवशेष जैसे चावल और गेहूं के भूसे /मकई के कोष (सीओबीएस) और स्टोवर/बैगेस, वुडी बायोमास), गैर-खाद्य ऊर्जा फसलों (यानी घास, शैवाल (एल्गल)), पशु गोबर या औद्योगिक अपिष्ट और अवशेषों से या उपरोक्त फीड स्टॉक के किसी मिश्रण संयोजन से जो उत्पादित होते हैं। (2) कम सीओ2 उत्सर्जन या उच्च जीएचजी में कमी और भूमि के उपयोग के लिए खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। द्वितीय पीढ़ी (2जी) एथेनॉल, प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) से बने जैव डीज़ल, वृक्ष से जिनत अखाद्य तेल, अल्प अविध वाले अखाद्य तेल से भरपूर फसलें, अक्षय स्नोतों और औद्योगिक कचरे से हरित डीजल, संश्लेषण (सिंथेटिक) गैस से उत्पादित जैव ईंधन, अक्षय स्नोतों और औद्योगिक अपिष्ट से ड्रॉप-इन-ईंधन, शैवाल (एल्गल) आधारित उजी जैव ईंधन, समुद्री खरपतवार (हैलोफाइट्स) आधारित जैव-ईंधन, जैव-सीएनजी, जैव-मेथेनॉल, जैव-मेथेनॉल से उत्सृजित डाई मिथाइल ईंथर (डीएमई), जैव-हाइड्रोजन, एमएसडब्ल्यू स्नोत/फीड स्टॉक सामग्री से निर्मित ड्रॉप-इन-फ्युल ईंधन 'उन्नत जैव ईंधन'' के रूप में मान्य होंगे।

(iv) खंड 5.2

देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित घरेलू कच्चे माल के रूप में निम्न पदार्थ उपलब्ध हैं:

एथेनॉल उत्पादन के लिए

'सी' एवं 'बी' हैवी-शीरा, गन्ने का रस, चीनी, चाशनी, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास के डंठल, मकई के कोष (सीओबीएस), लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि), शक्कर युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, सड़े हुए आलू, कृषि खाद्य/गूदा उद्योग अपशिष्ट आदि, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे टूटा हुआ चावल, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, एनबीसीसी द्वारा आधिक्य घोषित अनाज के कण, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट ऑफ-गैस आदि।

शैवाल (एल्गल) फीडस्टॉक और समुद्री खरपतवार (हैलोफाइट्स) की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है। जैव-डीजल उत्पादन के लिए : अखाद्य तिलहन, प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ), पशु चर्बी/वसा,

अम्लीय तेल, अल्प अवधि वाले अखाद्य तेल समृद्ध फसलें,

शैवाल (एल्गल) फीडस्टॉक आदि।

उन्नत जैव ईंधन के लिए : बायोमास, एमएसडब्ल्यू, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक

अपशिष्ट, आदि।

(v) खंड 5.3

ईबीपी कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की खरीद के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन के लिए: 'सी' एवं 'बी' हैवी-शीरा, गन्ने का रस, चीनी, चाशनी, घास के रूप में बायोमास, कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास के डंठल, मकई के कोष (सीओबीएस), लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि), शक्कर युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, चारा इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकई कसावा, सड़े हुए आलू, कृषि खाद्य/गूदा उद्योग अपशिष्ट आदि, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे टूटा हुआ चावल, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, एनबीसीसी द्वारा आधिक्य घोषित अनाज के कण, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट ऑफ-गैस, आदि। शैवाल (एल्गल) फीडस्टॉक और समुद्री खरपतवार (हैलोफाइट्स) की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है।

एथेनॉल उत्पादन के लिए इस मार्ग के खुलने से न केवल खाद्यान्न आधारित डिस्टिलरिज की स्थापित क्षमताओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी, अपितु न्यूनतम निवेश के साथ पूरी तरह से विकसित 1जी तकनीकी का इस्तेमाल करके इसमें उन सभी कच्चे सामग्रियों को भी शामिल किया जा सकेगा, जिनसे एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है।

जैव-डीजल उत्पादन के लिए: अखाद्य तिलहन, प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ), पशु चर्बी/वसा, अम्लीय तेल, अल्प अवधि वाले अखाद्य तेल समृद्ध फसलें, शैवाल (एल्गल) फीडस्टॉक आदि।

(vi) खंड 5.9.1

देश में कुल एल्कोहॉल/एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 700 करोड़ लीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान है। (vii) खंड 6.2

इस नीति ने फीडस्टॉक उत्पादन के लिए बंजर भूमि का उपयोग करके जैव ईंधन के लिए स्वदेशी फीडस्टॉक आपूर्तियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। तथापि, घरेलू फीडस्टॉक की उपलब्धता और सिमश्रण की आवश्यकता के आधार पर जैव-डीजल के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के आयात को आवश्यक सीमा तक अनुमित दी जाएगी। प्रस्तावित इस नीति के तहत राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय सिमिति द्वारा फीडस्टॉक आयात की आवश्यकताओं का निर्णय लिया जाएगा।

इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड/SEZ)/निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू/EOU) में स्थित इकाइयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा निर्यात के लिए जैव ईंधन के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के आयात को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमित दी जाएगी।

(viii) खंड 6.3

चूँिक, घरेलू जैव ईंधन की उपलब्धता देश की आवश्यकता से काफी कम है, इसलिए जैव ईंधन के निर्यात की सामान्यत: अनुमित नहीं होगी। तथापि, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय सिमिति के अनुमोदन के अधीन, निम्नलिखित परिस्थितियों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमित दी जा सकती है:

- (क) जब देश में जैव ईंधन का अधिशेष हो/घरेलू आवश्यकता पूरी हो गई हो।
- (ख) जब घरेलू बाजार के लिए घरेलू फीडस्टॉक्स से बने जैव ईंधन का मूल्य, घरेलू फीडस्टॉक के मूल्यों में वृद्धि के कारण अधिक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री कम होती है तो जैव ईंधन के

निर्यात की अनुमति, घरेलू जैव ईंधन उद्योग को समर्थन और व्यवहार्य बनाए रखने के लिए दी जाएगी। इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अलावा देश के लिए विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि होगी।

(ग) कोविड, अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं आदि जैसी आकस्मिकताओं/आपदाओं, के मामले में।

(ix) खंड 7.5

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की भूमिका के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

मंत्रालय/विभाग	भूमिका
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफ़पीडी)	,

(x) खंड 9.2

एनबीसीसी के सदस्यों की सूची में, निम्नलिखित दो सदस्यों को जोड़ा गया है:

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

नोट: भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 04 जून 2018 की अधिसूचना संख्या एफ. संख्या पी-13032(16)/18/2017-सीसी के अंतर्गत दिनाँक 08 जून 2018 को राष्ट्रीय जैवईंधन नीति, 2018 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2022

- **F. No. P-13032(18)/7/2021-CC (E-39223).**—In exercise of the powers conferred under Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Fifth Amendment Rules, 2017 published in the Gazette of India vide S.O. No.2492 (E) dated the 4th August, 2017, the Central Government, through Ministry of Petroleum & Natural Gas, hereby amends the National Policy on Biofuels,-2018 notified vide notification No F. No.P-13032(16)/18/2017-CC dated the 04th June 2018:-
- 1. (i) This amendment may be called the National Policy on Biofuels-2018 Amendment, 2022
 - (ii) This amendment is effective from the date of publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Policy on Biofuels -2018, the following mentioned clauses have been amended as follows:

(i) Clause 2.2:

The Goal of the Policy is to enable availability of biofuels in the market thereby increasing its blending percentage. Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoP&NG) has notified that Oil Companies shall sell Ethanol Blended Petrol (EBP) with percentage of ethanol up to twenty per cent throughout the

country from 01st April 2023. Blending of ethanol in Petrol will gradually be increased in the coming years. A target of 20% blending of ethanol in petrol is proposed by Ethanol Supply Year (ESY) 2025-26. An indicative target of 5% blending of biodiesel in diesel /direct sale of biodiesel is proposed by 2030. This goal is to be achieved by

- (a) reinforcing ongoing ethanol/biodiesel supplies through increasing domestic production
- (b) setting up Second Generation (2G) bio refineries
- (c) development of new feedstock for biofuels
- (d) development of new technologies for conversion to biofuels
- (e) creating suitable environment for biofuels and its integration with the main fuels.

(ii) Clause 3.2 (i)

'bioethanol': ethanol produced from biomass such as sugar containing materials, like sugar cane, sugar beet, sweet sorghum etc.; starch containing materials such as corn, cassava, rotten potatoes, agrofood / pulp industry waste, algae etc.; and, cellulosic materials such as bagasse, wood waste, agricultural and forestry residues or other renewable resources like industrial waste, vegetable wastes, industrial waste off gases or any mix combination of above feedstock.

(iii) Clause 3.2 (iii)

'Advanced biofuels': Fuels which are (1) produced from lignocellulosic feedstocks (i.e. agricultural and forestry residues, e.g. rice & wheat straw/corn cobs & stover / bagasse, woody biomass), non-food energy crops (i.e. grasses, algae), animal dung or industrial waste and residue streams, or any mix combination of above feedstock. (2) having low CO₂ emission or high Green House Gas reduction and do not compete with food crops for land use. Fuels such as Second Generation (2G) Ethanol, biodiesel made from Used Cooking Oil (UCO), non-edible tree borne oils, short gestation non-edible oil rich crops; green diesel from renewable sources and Industrial waste, biofuels produced from synthesis (syn) gas, drop-infuels from renewable sources and industrial waste, algae based 3G biofuels, halophytes based biofuels, bio-CNG, bio-methanol, Di Methyl Ether (DME) derived from bio-methanol, bio-hydrogen, drop-in-fuels from MSW resource / feedstock material will qualify as "Advanced Biofuels".

(iv) Clause 5.2

Potential domestic raw materials for production of biofuels in the country are:

For Ethanol Production : C & B- Heavy Molasses, sugarcane juice, sugar, sugar syrup,

biomass in form of grasses, agriculture residues (rice straw, cotton stalk, corn cobs, saw dust, bagasse etc.), sugar containing materials like sugar beet, sweet sorghum, etc. and starch containing materials such as corn cassava, rotten potatoes, agro food / pulp industry waste, etc., damaged food grains like broken rice, food grains unfit for human consumption, food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination

Committee (NBCC) , industrial waste, industrial waste off-gases,

etc.

Algal feedstock and cultivation of sea weeds can also be a

potential feedstock for ethanol production.

For Biodiesel Production : Non- edible Oilseeds, Used Cooking Oil (UCO), Animal tallow,

Acid Oil, Short Gestation non-edible oil rich crops, algal

feedstock, etc.

For Advanced Biofuels : Biomass, MSW, Industrial waste, Plastic waste etc.

(v) Clause **5.3**

The scope of raw material for procurement of ethanol under EBP Programme will be increased. For Ethanol Production: C & B-Heavy Molasses, Sugarcane juice, sugar, sugar syrup, biomass in form of grasses, agriculture residues (Rice straw, cotton stalk, corn cobs, saw dust, bagasse etc.), sugar containing materials like sugar beet, sweet sorghum, etc. and starch containing materials such as corn, cassava, rotten potatoes, agro food / pulp industry waste, etc., damaged food grains like broken rice, food grains unfit for human consumption, food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination Committee (NBCC), industrial waste, industrial waste off-gases, etc. Algal feedstock and cultivation of sea weeds can also be a potential feedstock for ethanol production.

Opening of this route for ethanol production will not only help in utilizing the installed capacities of grain based distilleries but also cover all the raw materials from which ethanol can be produced harnessing fully developed 1G technologies with minimum investment.

For Biodiesel Production: Non- edible Oilseeds, Used Cooking Oil (UCO), Animal tallow, Acid Oil, Short Gestation non-edible oil rich crops, Algal feedstock, etc

(vi) Clause 5.9.1

The total alcohol/ethanol production capacity in the country is estimated to be around 700 crore litres per annum.

(vii) Clause 6.2

The policy encourages augmenting indigenous feedstock supplies for biofuel production utilizing the wastelands for feedstock generation. However, depending upon availability of domestic feedstock and blending requirement, import of feedstock for production of bio diesel would be permitted to the extent necessary. Feedstock import requirements will be decided by the National Biofuel Coordination Committee (NBCC) proposed under this Policy.

Further, to promote the production of biofuels in the country by units located in Special Economic Zones (SEZ)/ Export Oriented Units (EoUs), import of feedstock for production of biofuels meant for export by them, will be allowed without any restriction.

(viii) Clause 6.3

As the domestic biofuels availability is much lower than the country's requirement, export of biofuels will generally not be permitted. However, export of biofuels may be permitted under the following circumstances, subject to approval of the National Biofuel Coordination Committee (NBCC):

- a) When there is surplus of biofuels in the country/domestic requirement has been met.
- b) When the price of biofuels, which have been made from domestic feedstocks for the domestic market, becomes high due to increase in domestic feedstock prices thereby resulting in poor domestic sales, export of biofuels would be permitted to support and keep the domestic biofuel industry viable. This in addition to the 'Make in India' program would also lead to increase in foreign exchange earnings for the country.
- c) In case of exigencies/ calamities such as COVID, other medical requirements, etc.
- (ix) Clause 7.5: The role of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution is amended as follows:

Ministry/Department	Role
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public	DFPD to provide suitable financial incentives for
Distribution, Department of Food & Public	setting up of 1G ethanol distilleries from various feed
Distribution (DFPD)	stocks.

(x) Clause 9.2: In the list of members of NBCC, the following two members have been added:

Secretary, Department of Financial Services

Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation

SUNIL KUMAR, Jt Secy.

Note: The National Policy on Biofuels – 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 vide Notification No F. No.P-13032(16)/18/2017-CC dated 04th June 2018 on 08th June 2018.